

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश सं० – 28/2015

आर.बी.ई. सं०- पीसी- 111/2013/सी.आर.सी./4 दिनांक 08.10.2013 (आर.बी.ई. सं०-102/2013) जो महाप्रबंधक (कार्मिक)/हाजीपुर के पत्रांक-ई/41/0/ईसीआर/एच.जे.पी. दिनांक 25.10.2013 (सी.पी.ओ. क्रम संख्या 102/13) द्वारा प्रचारित है, के अनुसार दिनांक 01.11.2013 से प्रभावित पुर्नगठन (गुप-सी) के परिप्रेक्ष्य में वाणिज्य विभाग के वाणिज्य निरीक्षक संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संदर्भ में आयोजित सुयोग्यता जांच परीक्षा (Suitability with Prescribed Bench Mark) का परिणाम इस कार्यालय के कार्यालय आदेश संख्या 18/2015 पृष्ठांकन संख्या का/II/213/पुर्नगठन/वाणिज्य/13 दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्रकाशित किया गया है, की पदोन्नति उनके नाम के सामने अंकित पद/वेतनमान में देकर उनके वर्तमान कार्यस्थल पर ही पदस्थापित किया जाता है :-

क्र० सं०	कर्मचारियों का नाम (सर्व श्री)	वर्तमान पद/ वेतनमान एवं कार्यस्थल	पदोन्नत पद/ वेतनमान/ कार्यस्थल	वेतन निर्धारण	अभियुक्ति
01.	प्रेम शंकर दास	वाणिज्य निरीक्षक, पीबी 2 9300-34800+4200(ग्रेडपे) /रक्सौल	मु०वा०निरी०, पीबी 2 9300-34800+4600(ग्रेडपे) /रक्सौल	एमएसीपी के तहत वेतन निर्धारित	01.11.2013 से
02.	गोपाल कुमार	वाणिज्य निरीक्षक, पीबी 2 9300-34800+4200(ग्रेडपे) (वर्तमान में अन्वेषण निरीक्षक/सतर्कता निदेशालय/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली)	मु०वा०निरी०, पीबी 2 9300-34800+4600(ग्रेडपे)	सेवा पुस्तिका प्रतिनियुक्ति स्थल पर होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं किया गया है।	01.11.2013 से

क्रम संख्या 02 वर्तमान में अन्वेषण निरीक्षक/सतर्कता निदेशालय/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली के पद पर पदस्थापित हैं तथा इससे पूर्व मुख्य सतर्कता निरीक्षक/हाजीपुर के पद पर पदस्थापित थे, अतः इनका उपरोक्त ग्रेड में पदोन्नति सेवापुस्तिका के अनुसार दिनांक 01.11.2013 को सजा से मुक्त होने की स्थिति में ही प्रभावी होगा।

पदोन्नत कर्मचारी यदि चाहें, तो पदोन्नत पद पर वेतन का निर्धारण निचले वेतनमान के अगली वेतनवृद्धि तिथि से करा सकते हैं, जिसके लिये एक माह के अन्दर विकल्प देना होगा। एक माह पश्चात् प्राप्त विकल्प विचारणीय नहीं होगा।

यह सक्षम अधिकारी द्वारा आदेशित है।

(प्रेम कुमार)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर

संख्या- का/II/213/पुनर्गठन/वाणिज्य/13

दिनांक 06.07.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली - कृपया क्रम संख्या 02 को दिनांक 01.11.2013 से पुनर्गठन के तहत पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाय।
2. निदेशक (सतर्कता)/सतर्कता निदेशालय/रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली
3. महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर - कृपया क्रम संख्या 02 को दिनांक 01.11.2013 को सजा से मुक्त होने की स्थिति में पुनर्गठन के तहत पदोन्नति का लाभ प्रदान करते हुए वेतन निर्धारण किया जाय।
4. महाप्रबंधक (सतर्कता)/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
5. वमंविप्र/समस्तीपुर
6. वमंवाप्र./समस्तीपुर
7. मुख्य कार्याधी/यातायात बिल,कार्यालय में
8. स्टेशन अधीक्षक/रक्सौल
9. संबंधित कर्मचारीगण
10. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू/ओबीसी/अजा-अजजा एशो0/समस्तीपुर
11. अभिलेख एवं अन्य प्रति

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
समस्तीपुर